

दिनांक:—18.09.2019

प्रार्थना-पत्र प्रार्थीया जरिये अधिवक्ता पेश होने पर पत्रावली पेशी में ली गयी। प्रार्थीया/अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुये। नोटशीट पर हस्ताक्षर किये प्रार्थीया की पहचान की हरबन्स सिंह वकील व अप्रार्थी की पहचान श्री कैलाश सिवंल वकील ने पहचान की। प्रार्थना-पत्र में अकिंत किया कि हमारा आपस में राजीनामा हो चुका है। प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते अतः जरिये राजीनामा प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

